(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 266 / 2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 576

1. प्रताप सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. रामसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. महावीर पुत्र पालाराम
4. रामकिशन पुत्र पालाराम
5. हसंराम पुत्र पालाराम
6. संजीव कुमार पुत्र होशियार सिंह
7. हरपाल पुत्र माडुराम समस्त जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

................वादीगण

बनाम

1. उर्मिला देवी पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. चन्द्रो देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. जयसिंह पुत्र नानडराम
4. अंजना देवी पत्नी स्व बलबीर
5. सुनिल कुमार पुत्र स्व0 बलबीर
6. अनिल कुमार पुत्र स्व0 बलबीर
7. कपिता पुत्री स्व0 बलबीर पत्नी मुकेश कुमार, जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
8. रामरति पुत्री स्व0 बलबीर पत्नी रामचन्द्र निवासी डोकी तहसील व जिला चरखी दादरी हरि0
9. पूजा पुत्री स्व0 बलबीर पत्नी ज[illegible] निवासी [illegible] तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
10. औमप्रकाश पुत्र भानी पत्नी श्योकरण
11. ख्याली पुत्र भानी पत्नी श्योकरण
12. प्रेम पुत्री भानी पत्नी श्योकरण
13. गुड्डी पुत्री भानी पत्नी श्योकरण

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

14. रणवीर पुत्र नानडराम
15. रामेश्वर पुत्र सरती पत्नी मामराज
16. धन्नी देवी पत्नी रामकिशन
17. रोहताश पुत्र रामकिशन
18. अनिल पुत्र रामकिशन
19. विमला पुत्री रामकिशन
20. अनिता पुत्री रामकिशन
21. सरीया पत्नी नानडराम, समस्त जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
22. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सिंघना जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

....................प्रतिवादीगण

दावा बाबतः– खाता विभाजन

–ःनिर्णयः– दिनांकः– 8/5/25

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम नानवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075– 2078 के खाता संख्या 165 के ख0 न0 274 रकबा 5.29 हैक्टर ख0 न0 293 रकबा 0.23 हैक्टर, ख0 न0 309 रकबा 1.64 हैक्टर ख0 न0 310 रकबा 2.03 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 9.19 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें वादी संख्या 1 का हिस्सा 27/919, वादी संख्या संख्या 2 का 27/919, वादी संख्या 3 का 94/919, वादी संख्या 4 का 94/919, वादी संख्या 5 का 94/919, वादी संख्या 6 का 107/1838, वादी संख्या 7 का 177/919, प्रतिवादी संख्या 1 का 141/3676, प्रतिवादी संख्या 2 का 141/3676, प्रतिवादी संख्या 3 का 177/3676, प्रतिवादी संख्या 4 ल[illegible]76, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 का 17/919, प्रतिवादी संख्या 14 क[illegible]77/[illegible]76, प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 का 88/919, प्रतिवादी र[illegible]कार्ड है।
2. यह कि खातेदार बलवीर पुत्र नानड [illegible] फौत हो चुका है। जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 व खातेदार भानी देवी प[illegible] श्योकरण फौत हो चुकी है

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:55 IST
Reason: SelfAttested

जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 व 11 [illegible] मौत हो चुकी है। जिसके विधिक वारिसान है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि–

(क). कि वाके ग्राम नानवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075– 2078 के खाता संख्या 165 के ख0 न0 274 रकबा 5.29 हैक्टर ख0 न0 293 रकबा 0.23 हैक्टर, ख0 न0 309 रकबा 1.84 हैक्टर ख0 न0 310 रकबा 2.03 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 9.19 हैक्टर भूमि मे वादीगण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी संख्या 1 का हिस्सा 27/919, वादी संख्या संख्या 2 का 27/919, वादी संख्या 3 का 94/919, वादी संख्या 4 का 94/919, वादी संख्या 5 का 94/919, वादी संख्या 6 का 107/1838, वादी संख्या 7 का 177/919, का खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 27.02.2025 को लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.02.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 99 दिनांक 11.03.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1212 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम [illegible] खाता संख्या 165, मे वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार [illegible] वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नानवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075– 2078 के खाता संख्या 165 के ख0 न0 274 रकबा 5.29 हैक्टर ख0 न0 293 रकबा 0.23 हैक्टर, ख0 न0 309 रकबा 1.64 हैक्टर ख0 न0 310 रकबा 2.03 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 9.19 हैक्टर भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 8/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:55 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 266 / 2024 जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 576

प्रताप बनाम उर्मिला आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णय:–

वादीगण की ओर से **श्री विकास कुमार एडवोकेट** की एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को सुमन देवी II **उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नानवास तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075– 2078 के खाता संख्या 165 के ख0 न0 274 रकबा 5.29 हैक्टर ख0 न0 293 रकबा 0.23 हैक्टर, ख0 न0 309 रकबा 1.64 हैक्टर ख0 न0 310 रकबा 2.03 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 9.19 हैक्टर भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 8/5/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:55 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)